समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Friday, 11 September 2026

केंद्रीय बजट 2026-27 — पेश होने की तारीख तय, संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू

Publisher
Published on 09 Jan 2026

केंद्रं सरकार ने आगामी **केंद्रीय बजट 2026-27** की संभावित तारीखों को लेकर पूर्व-निर्धारित शेड्यूल प्रस्तावित किया है। कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स (CCPA) ने संसद के **बजट सत्र** की शुरुआत **28 जनवरी 2026** से करने का प्रस्ताव रखा है और **Union Budget** को **1 फरवरी 2026 (रविवार)** को पेश करने की तैयारी की जा रही है। यह निर्णय अभी अंतिम रूप से मंजूर होना बाकी है, लेकिन सरकारी सूत्रों के अनुसार यही कार्यक्रम तय माना जा रहा है।

बजट सत्र की रूपरेखा

• संसद का बजट सत्र **28 जनवरी 2026** को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा।
• उसके बाद **आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey)** 29 जनवरी को संसद में पेश किया जाएगा।
• इसके बाद **1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट प्रस्तुत** किया जाएगा, जो कि रविवार होने के बावजूद पारंपरिक तारीख पर ही रखा जा रहा है।

बजट प्रस्तुति पर क्या खास?

• केंद्रीय बजट 2026-27 को वित्त मंत्री **निर्मला सीतारमण** पेश करेंगी। यह उनके करियर का लगातार **नौवां बजट** होगा।
• 1 फरवरी को बजट प्रस्तुति का होना इस साल खास इसलिए भी है क्योंकि यह रविवार के दिन होने जा रहा है, जो आम तौर पर संसद का अवकाश होता है। फिर भी सरकार ने **1 फरवरी के कार्यक्रम को बरकरार रखने** का प्रस्ताव दिया है, ताकि **वित्त वर्ष की योजना समय पर लागू हो** सके।

संभावित सत्र समय-सीमा

सूत्रों के अनुसार, बजट सत्र संसद में दो चरणों में आयोजित हो सकता है —

• पहला चरण **28 जनवरी से 13 फरवरी** तक
• तथा दूसरा भाग **9 मार्च से 2 अप्रैल** तक जारी रहेगा।

मुख्य उद्देश्य

बजट सत्र हर साल संसद का पहला सत्र होता है, जिसमें सरकार अपने वित्तीय कार्यक्रम, नीति प्रेरणाएँ और व्यय योजनाएँ प्रस्तुत करती है। इस सत्र में देश की आर्थिक प्राथमिकताओं, कर नीतियों और सरकारी खर्च पर विस्तृत बहस भी की जाती है, ताकि जनता-हित योजना और निवेश वातावरण को प्रभावित किया जा सके।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.